कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर

जिला एवं सेशन न्यायालय, परिसर

क्रमांक / जिविसेप्रा / 2025 / 02 दिनांक 07.02.2025

—ः विज्ञप्ति ः—

माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के कार्यालय आदेश क्रमांक एफ. 7(136) / रालसा / संस्था / संविदा सेवा–वाहन / 2025 / 75 दिनांक 06.02.2025 एवं राजस्थान सरकार, विधि विभाग की आज्ञा संख्या पं.08 (1)विधि–2 / विरस(64) / 2015 पार्ट II दिनांक 22.01.2025 के अनुसरण में विभाग में वाहन चालक के स्वीकृत रिक्त पद पर नियमित भर्ती होने में विलम्ब व्यवस्था के रूप में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर में स्वीकृत वाहन चालक के पद के विरूद्ध संविदा सेवा के तहत् वित्तीय वर्ष 2025–26 (दिनांक 01.03.2025 से दिनांक 31.03.2026 तक) अथवा नियमित भर्ती होने तक जो भी पूर्व में हो) हेतु निम्न शर्तो के अधीन वाहन चालक कर्मी के पद के विरूद्ध सेवानिवृत कार्मिक / राज्य सरकार के विभागो से प्रतिनियुक्ति पर सेवाएं निम्नानुसार ली जानी हैः–

क्रम संख्या	पद	कार्यालय का नाम	स्वीकृत रिक्त पद की संख्या
1.	वाहन चालक	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर	01

शर्तेः–

1. उक्त पदो पर सेवाओं के फलस्वरूप समेकित पारिश्रमिक राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों, विनियमों के निर्देशानुसार देय होगी। कर्मचारीगण का चयन निम्न प्राथमिकता के क्रम में किया जायेगा।
   - उक्त परिपत्रो के प्रावधानो के अनुसार सेवानिवृत कर्मचारी।
   - सेवानिवृत कर्मचारी उपलब्ध नही होने की दशा में विपरित प्रतिनियुक्ति पर संबंधित विभाग के माध्यम से उनके कर्मचारी।
2. ऐसे सेवानिवृत कार्मिक जिनकी आयु 65 वर्ष से अधिक नही हुई है, वे विज्ञप्ति के साथ संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप में मय वांछित दस्तावेजात प्रस्तुत करेगा। उक्त चर्तुर्थ श्रेणी कर्मचारी की सेवाए राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशो / निर्देशो / परिपत्रो के अध्यधीन एवं अधीनस्थ तालुका विधिक सेवा समितियों में रिक्त पदो अनुसार ली जावेगी।
3. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त 01 वर्ष में 12 दिवस की वेतनिक आकस्मिक अवकाश के हकदार होंगे। वे राजस्थान सेवा नियमों के अधीन उपार्जित अवकाश या किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के हकदार नही होंगे। बिना अवकाश के प्रत्येक दिवस की अनुपस्थिति के लिए मासिक पारिश्रमिक का 1/30 वां भाग काटा जावेगा।
4. ऐसे सेवानिवृत कर्मचारी जिन्हे सेवा से अनिवार्य रूप से सेवानिवृत किया गया था जिन्हे किसी अन्य रीति से दण्डित किया गया था के संबंध में समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त के लिए विचार नही किया जायेगा।
5. कार्मिको को पुनर्नियुक्त के समय नियमानुसार सक्षम चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य संबंधि चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
6. समेकित पारिश्रमिक पर पुर्ननियुक्त कार्मिक की पुर्ननियुक्ति किसी भी शर्त के भंग करने पर या 15 दिवस का पूर्व नोटिस देकर समाप्त किये जाने के दायित्व के अध्यधीन होगी।

अतः सभी संबंधित को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित शर्तो पर सेवाएं देने वाले इच्छुक सेवानिवृत चतुर्थ श्रेणी एवं वाहन चालक कर्मचारी **दिनांक 15.02.2025** को कार्यालय समय तक इस कार्यालय अपना आवेदन पत्र जरिये डाक / ई–मेल dlsa14dungarpur@gmail.com पर प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।

आवेदन के साथ निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किए जाने आवश्यक है :–

1. विभाग के द्वारा जारी सेवानिवृत आदेश की प्रति।
2. अंतिम भुगतान प्रमाण–पत्र (एलपीसी) प्रति।
6. पीपीओ की प्रति।
4. विभागाध्यक्ष द्वारा जारी प्रमाण–पत्र (प्रारूप संलग्न) है।

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डूंगरपुर

क्रमांक / जिविसेप्रा / 2025 / 46–89 दिनांक 07.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण(जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय), डूंगरपुर
3. जिला कलक्टर, डूंगरपुर को समस्त अधीनस्थ विभागों / PSUs / में सूचित करने बाबत।
4. श्रीमान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त राजस्थान।
5. जिला जन सम्पर्क अधिकारी, डूंगरपुर को अखबार में प्रकाशन हेतु।
6. सिस्टम ऑफिस, जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा व जिला एवं सेशन न्यायालय, डूंगरपुर
8. तालुका विधिक सेवा समिति, सागवाडा / आसपुर / सीमलवाडा

सचिव,
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
डूंगरपुर

कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर (राज.)

(राज्य सरकार के अधिकारी/कर्मचारी के सममबंध में सेवानिवृत कर्मचारी/विपरीत प्रतिनियुक्ति हेतु सेवाएं)

आवेदन पत्र

1. कर्मचारी का नाम :– ....
2. पिता/पति का नाम :– ....
3. जन्म तिथि :– ....
4. पता मय मोबाईल नं.:– ....
5. आयु:– ....
6. अर्हताएं :– ....
7. मूल विभाग का नाम :– ....
8. धारित पद :– ....
9. अनुभव :– ....
10. मूल वेतन :– ....
    (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) ....
    पे–स्लीप/एलपीसी संलग्न करे।
11. मूल पेंशन राशि
    (पीपीओं की प्रति संलग्न करें)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत के समय) ....
13. विभागध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार) ....
14. पुनर्नियुक्ति हेतु वांछित स्थान का नाम वरीयता अनुसार
    1. 2. 3.
15. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा है ....

हस्ताक्षर मय दिनांक

विपरित प्रतिनियुक्ति के लिए कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिए वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के कार्मिकों के लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर से प्राप्त आदेश/निर्देशो में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में राज्य सरकार में संविदात्मक विपरित प्रतिनियुक्ति की सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :–

स्थान :–

हस्ताक्षर